

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
अधिसूचना

पटना, दिनांक-26/8/19

संख्या-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-16/2019 श्र०सं०.....185...../ श्री प्रवीण कुमार प्रभात,
कारखाना निरीक्षक, कटिहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त कारखाना निरीक्षक, पूर्णियाँ एवं
कारखाना निरीक्षक, सहरसा का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(सूर्यकान्त मणि)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था० (1) 10-16/2019 श्र०सं०.....185...../ पटना, दिनांक-26/8/19

प्रतिलिपि : अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में
प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार,
पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त
सचिव/अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार,
पटना/प्रभारी मुख्य कारखाना निरीक्षक, बिहार, पटना/श्रम सेवा (सामान्य) एवं श्रम सेवा
(तकनीकी) के सभी पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी
पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।